

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

प्रशासन गाँवों के सौं अभियान - 2021

आदेश:-

26/12/2021

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व मू.प्र.नि. की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मोमरी	16	कल्याण सिंह, निरधरी जख्खुराम, मागीर वसुधन पिठ गुलाबाम, मागीर पालि मुंघराम	कल्याण सिंह निरधरी जख्खुराम, मागीर शमसुद्दीन पिठ गुलाबाम, मागीर पालि मुंघराम मूसादा जोड 5500 22400

(सूचना) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक :- 1040-1042

दिनांक :- 31/12/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

Handwritten signature/initials

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर